कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा।

:– अधिसूचना :–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 के आलोक में एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक अंकेक्षण नियमावली 2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा संकल्पित सामाजिक अंकेक्षण अभियान की योजना अंतर्गत, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 216672, दिनांक 16.01.2015 के आलोक में दरभंगा जिला में सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया को संपन्न करने के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :–

क0	पदाधिकारी / प्रतिनिधि	अभ्युक्ति
1	उप विकास आयुक्त, दरभंगा।	अध्यक्ष
2	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा।	सदस्य
3	जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी, दरभंगा।	सदस्य – कियान्वयन एजेंसी
4	जिला अभियंता, दरभंगा।	सदस्य – कियान्वयन एजेंसी
5	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा।	सदस्य – कियान्वयन एजेंसी
6	श्री अमित कुमार ठाकुर (9835893121)	सदस्य – डी.आर.पी.
7	बी0जी0भी0एस0, पी0ए0सी0एस0 (पैक्स) एवं सी0एच0ए0आर0एम0(चार्म) के प्रतिनिधि	सदस्य – स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि।

राज्य–व्यापी सामाजिक अंकेक्षण अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिला में कुल पांच ग्राम पंचायतों, नामतः प्रखण्ड बहादुरपुर अंतर्गत **डरहार एवं दिलावरपुर**, प्रखण्ड मनीगाछी अंतर्गत **पैठान कबई** एवं प्रखण्ड तारडीह अंतर्गत **बैका एवं नारायणपुर शेरपुर** में निर्धारित समय–सारणी के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण संपन्न किया जाएगा और इससे प्राप्त अनुभवों एवं सीख से भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सभी पंचायतों में हर छः माह में सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया संपन्न की जाएगी। निर्धारित समय–सारणी निम्नवत है :–

जिला की सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन और पहली बैठक	22.01.2015
ग्राम श्रोत व्यक्ति का चयन .	26.01.2015 तक
योजना संबंधित सभी दस्तावेजों की छायाप्रति 'सामाजिक अंकेक्षण समिति' को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	23.01.2015
सामाजिक अंकेक्षण दल के चयन के लिये ग्राम सभा	02.02.2015
प्रथम चरण पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण	03–09 फरवरी, 2015
प्रथम चरण पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा	10 फरवरी, 2015
द्वितीय चरण पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण	12–18 फरवरी, 2015
द्वितीय चरण पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा एवं जन सुनवाई	19 फरवरी, 2015
जिला जन सुनवाई (राज्य स्रोत व्यक्ति डा0 शकील, मो0 9431493870 की उपस्थिति में)	20–22 फरवरी, 2015
राज्य जन सुनवाई	23 फरवरी, 2015

जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण समिति डी.आर.पी. एवं इनके द्वारा चिन्हित ग्राम सामाजिक अंकेक्षण संसाधन व्यक्ति को सहयोग प्रदान करेगी। सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा किया जाएगा जिसका चयन नामित डी.आर.पी. द्वारा किया जाएगा। समिति जिला स्तर पर संबंधित प्रखण्डों एवं पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों, मनरेगाकर्मियों एवं कियान्वयन एजेंसी के साथ प्रारंभिक बैठक का आयोजन संलग्न कार्यक्रम के अनुसार करेगी। ग्राम सभा और जनसुनवाई की जानकारी पंचायत के लोगों तक पहुंचाने के लिये प्रचार–प्रसार की जिम्मेदारी जिला स्तरीय समिति की होगी। संबंधित प्रखण्डों के कार्यकम पदाधिकारी निर्धारित तिथि तक समिति के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायतों के वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के मनरेगा के तहत पूर्ण, अपूर्ण एवं कार्यशील योजनाओं के सभी अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज

जिला संसाधन व्यक्ति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय समिति सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा हेतु पैनलों को अधिसूचित करेगी। इस पैनल में नामित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला से नामित पर्यवेक्षीय पदाधिकारी (श्रीमती आभा कुमारी, प्रभारी सहायक परियोजना पदाधिकारी – प्रखण्ड बहादुरपुर हेतु, श्रीमती निशिता ठाकुर, प्रभारी सहायक परियोजना पदाधिकारी – प्रखण्ड मनीगाछी हेतु एवं श्रीमती इन्दुकला, प्रभारी सहायक परियोजना पदाधिकारी – प्रखण्ड तारडीह हेतु) शामिल किये जाएंगे एवं किसी भी हाल में संबंधित मुखिया पैनल में शामिल नहीं किये जाएगे।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कियान्वित योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य एक मूलभूत व्यवस्था है। अतएव विभागीय पत्रांक 216672, दिनांक 16.01. 2015 के आलोक में जिला के सभी चयनित पंचायतों में मनरेगा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए एवं अभियान को सफल बनाया जाए।

ह0 –

जिला पदाधिकारी–
सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,
दरभंगा।

ज्ञापांक 160 / जि0ग्रा0 दिनांक 21/01/2015

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला स्तरीय समिति के सभी पदाधिकारियों / सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता–सह– वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखण्ड बहादुरपुर / मनीगाछी / तारडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं चयनित पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/1/15

जिला पदाधिकारी–
सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,
दरभंगा।

अजय